संख्या-2659/62-2-2016-2/3(09)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ- दिनांक- 09 नवम्बर,2016**

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-13 के अधीन डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना हेतु बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। (राज्य सेक्टर)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0-505/ल0सिं0/बजट-3/2016-17,दिनांक-06.10.2016 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-13 के अधीन संचालित डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 215.60 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1147/62-2-2016-2/3(09)/2016,दिनांक-26.04.2016 द्वारा प्रथम छ:माही हेतु धनराशि रू0 107.80 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 107.80 लाख (रू0 एक करोड सात लाख अस्सी हजार मात्र) राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त् शासनादेश संख्या-1147/62-2-2016-2/3(09)/2016,दिनांक-26.04.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-भूजल-05-डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-746/दस-2016-231/2016,दिनांक-22.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2659(1)/62-2-2016,तददिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रेदश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।